

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**वित्त विभाग**  
**मंत्रालय**  
**महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर**  
**// आदेश //**

नवा रायपुर, दिनांक ०३ / ०२ / २०२०


क्रमांक 156/67/2020/स्था./चारः राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन लेखाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर 3 में दर्शित कार्यालय में अस्थायी रूप से on the job training हेतु आदेशित करता है :-

स.क्र.	अधिकारी का नाम	on the job training हेतु कार्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	श्री टेकेन्द्र कुमार	जिला कोषालय, राजनांदगांव
2.	श्रीमती शुचि सुल्तानिया चावड़ा	जिला कोषालय, बिलासपुर
3.	श्री उत्कल कुमार शर्मा	जिला कोषालय, महासमुंद
4.	सुश्री रोमा वर्मा	जिला कोषालय, रायपुर
5.	सुश्री ऋद्धि साहू	जिला कोषालय, रायगढ़
6.	श्री लोकेन्द्र कुमार साहू	जिला कोषालय, धमतरी
7.	सुश्री रेणु कोसरे	जिला कोषालय, दुर्ग
8.	श्री योगेश कुमार	जिला कोषालय, मुंगेली
9.	श्री उत्तम कुमार ध्रुव	जिला कोषालय, कोरबा
10.	श्री अरविन्द कुमार देवांगन	जिला कोषालय, जांजगीर चांपा
11.	श्री प्रदीप गौर	जिला कोषालय, कांकेर

2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, एवं कोषालय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि on the job training हेतु उपस्थित परिवीक्षाधीन अधिकारियों का उपस्थिति प्रतिवेदन प्रतिमाह, समय पर संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, नवा रायपुर को भेजना सुनिश्चित करें।

3. उपस्थिति प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, द्वारा वेतन आहरण किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

  
11/2/2020  
(प्रेमा गुलाब एक्का)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 157/67/2020/स्था./चार

नवा रायपुर, दिनांक ०३/०२/२०२०

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर
5. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
7. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
8. संबंधित परिवीक्षाधीन अधिकारीगण .....
9. आदेश फोल्डर हेतु

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
11/2/2020  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग